



उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद-211021

विज्ञापन संख्या: 06 / 2018

दिनांक:— 18 / 06 / 2018

अल्पकालिक निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की किराये की टैक्सी उपलब्ध कराये जाने हेतु इच्छुक निविदादाताओं से एतद्वारा सीलबन्द निविदा दिनांक 26-06-2018 को अपराह्न 01.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अपराह्न 01.15 बजे कुलसचिव कार्यालय में खाली जायेगी। विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय ब्रेवसाइट www.uprtou.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद-211013

निविदा फार्म क्रम संख्या

निविदा फार्म मूल्य रु. 200/-

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक 26-06-2018

अपराह्न 01:00 बजे

निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय : दिनांक 26-06-2018

अपराह्न 01:15 बजे

विभिन्न प्रकार की किराये की टैक्सी उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निविदा :-

1. धरोहर राशि रु. 10,000/- जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा, संलग्न करें। फर्म द्वारा निर्गत चेक स्वीकार नहीं होगा।

2. संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण :

बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम

3. प्रमाणित किया जाता है कि निविदा से सम्बन्धित सभी निर्देश एवं शर्तें पढ़ ली गयी हैं एवं स्वीकार हैं।

4. फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता एवं मोहर.....

दूरभाष संख्या

मोबाइल नम्बर

नोट : दरों को संलग्न निविदा प्रपत्र पर भरना अनिवार्य है।

संलग्नक : निविदा प्रपत्र, निर्देश एवं नियम

हस्ताक्षर निविदादाता

पता एवं मुहर

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद-211013

विभिन्न प्रकार की किराये की टैक्सी उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निविदा के निर्देश एवं नियम :-

1. निविदा कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को सम्बोधित होगी।
2. किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की दरें निविदा प्रपत्र में दिये गये विशिष्टियों के अनुसार दिया जायेगा।
3. निविदा के साथ रु. 10000/- (रु. दस हजार) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो "वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो एवं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बना हो, संलग्न होना चाहिए। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा भरने वाली संस्था/एजेन्सी कम से कम गत तीन वर्ष से इस व्यवसाय में होनी चाहिए।
5. विश्वविद्यालय के सूचना के आधार पर अल्प समय में ही वांछित मेक का वाहन उपलब्ध कराना होगा। जितने वाहन की आवश्यकता होगी उतने वाहन उपलब्ध कराना होगा।
6. निविदा स्वीकार होने पर एक अनुबन्ध भरना होगा तथा जमानत की राशि रु. 1.0 लाख जमा करनी होगी जो निविदा की समाप्ति अवधि तक विश्वविद्यालय से रखी जायेगी। जमानत की धनराशि न जमा होने पर 10% बिलगत राशि से रोका जायेगा, जिसे संतोष जनक कार्य के बाद अवमुक्त किया जायेगा।
7. (i) धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट (ii) संस्था के आय कर के भुगतान सम्बन्धी अभिलेख जैसे पैन नं0, आयकर निर्धारण वर्ष 2015–16, 2016–17, एवं 2017–18 (iii) स्टैम्प पेपर पर गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने की वचन बद्धता के साथ गैर सिद्ध दोष का घोषणा पत्र, जो सभी तकनीकी पक्ष से सम्बन्धित है, एक लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर 'तकनीकी पक्ष' शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। दरें दूसरे लिफाफे में रखकर प्रस्तुत की जायेंगी जिसके ऊपर 'दर' शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। तकनीकी पक्ष की शर्तें पूर्ण होने पर ही दरों का लिफाफा खोला जायेगा। उक्त सभी लिफाफे सीलबन्द करना अनिवार्य है।
8. टैक्सी के आन्तरिक एवं वाह्य यात्राओं की दरें पृथक—पृथक भरी जायेंगी।
9. वर्ष 2015 के बाद पंजीकृत वाहनों को ही स्वीकार किया जायेगा। इस हेतु संस्था में कार्य कर रहे पंजीकृत वाहनों की सूची संलग्न करना आवश्यक होगा।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।
11. निविदा स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जमानत राशि जमा कराते हुए फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
12. इससे सम्बन्धित कोई विवाद इलाहाबाद नगर में स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।
13. दरों का निर्धारण स्थानीय यात्र में 60 किमी/8 घण्टा के आधार पर होगा। वाह्य यात्रा में दरों का निर्धारण (न्यूनतम 200 किमी की यात्र के आधार पर) प्रति किमी की दर से किया जायेगा परन्तु अतिरिक्त किमी/घण्टे की दर अनुपातिक आधार पर आ रही दर से कम होनी चाहिए।
14. डीजल चालित वाहनों की दरें मेक के साथ AC व Non AC हेतु अलग—अलग उल्लिखित की जायेंगी।
15. टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।
16. गाड़ी के पंजीकरण, बीमा चालक, लाइसेंस आदि का समस्त उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
17. विश्वविद्यालय की मांग के अनुसार अच्छी स्थिति में निर्धारित संख्या में वाहन न उपलब्ध कराये जाने पर रु. 200/- प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से Penalty के रूप में वसूल किया जायेगा।
18. डाउनलोड निविदा के साथ रु. 200/- बैंकड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
19. किसी भी निविदा/निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में मात्र कुलपति जी का निर्णय अन्तिम व सभी को मान्य होगा।
21. आदेशित वाहनों की आपूर्ति समय से न करने पर अथवा गुणवत्ता खराब पाये जाने पर निविदा निरस्त करने /धरोहर धनराशि जब्त करने/अन्य फर्म से कार्य कराने का अधिकार विश्वविद्यालय में सुरक्षित होगा।

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विभिन्न प्रकार की टैक्सी उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्थानीय तथा बाहर की यात्रा हेतु अपनी दरे सभी करों सहित अंकित करें।

क्र स ं	विवरण	सूमो / बोलेरो	क्वालिस / स्कार्पियों	स्विफ्ट डिजायर	टवेरा	इनोवा	इन्डिगो	होण्डा सिटी	इटिओस
(अ)	स्थानीय यात्रा (60किमी तक)	डीजल	डीजल	डीजल	डीजल	डीजल	डीजल	डीजल	डीजल
		ए.सी. नान ए.सी.	ए.सी. नान ए.सी.	ए.सी. नान ए.सी.	ए.सी. नान ए.सी.	ए.सी. नान ए.सी.	ए.सी. नान ए.सी.	ए.सी. नान ए.सी.	ए.सी. नान ए.सी.
(i)	60 किमी/ 8 घण्टा								
(ii)	अतिरिक्त प्रति किमी दर								
(iii)	अतिरिक्त घण्टा								
(ब)	वाह्य यात्रा :								
(i)	200 किमी न्यूनतम प्रति दिन								
(ii)	अतिरिक्त प्रति किमी								
(iii)	रात्रि ठहराव								

- नोट:— 1. अतिरिक्त प्रति किमी व अतिरिक्त घंटा में से केवल एक जो भी अधिक हो देय होगा।
 2. किमी. की गणना विश्वविद्यालय द्वारा वाहन बुलाने वाली जगह से की जायेगी।
 3. माँगी गयी मेंक की अच्छी दशा की गाड़ी उपलब्ध कराना होगा। नान ए.सी. गाड़ी मांगने पर नान ए.सी. का ही भुगतान किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता.....

पता.....